

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

Principals

All Government/Non-Govt. Aided/Self Finance Colleges of Haryana State

यादि क्रमांक : 2/71-2017 एन0एस0एस0 (2)

दिनांक, पंचकूला

विषय : **Regarding mandatory use of Helmet and Seat Belt by students of Haryana State.**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.03.2018 को Addl. PSCM की अध्यक्षता में हुई Road Safety Programme की Review मीटिंग में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिये Helmet व Seat-Belt अनिवार्य करने हेतु निर्णय लिया गया है और जो विद्यार्थी इन आदेशों की पालना ना करे उसे Campus में दाखिल होने की अनुमति ना दी जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यार्थियों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें व अपने संस्थान में उक्त आदेशों की दृढता से पालना करना सुनिश्चित करें।

sd/-

राज्य रा0से0यो0 अधिकारी
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ0 क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला 03/4/18.

है:-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती

1. संयुक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा, 30 Bays Building, Second Floor, Sec-17B, Chandigarh.
2. Director, Vision Zero (Road Safety Programme), 2nd Floor, Building MG, 87 Sultanpur Mandi Road, New Manglapuri, Sultanpur, New Delhi-110030.
3. Nodal Officer, Web Portal O/o Director General Higher Education Haryana, Panchkula.

Chandigarh

03/4/2018

राज्य रा0से0यो0 अधिकारी
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।